(349)

क्रम संख्या–18 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 28 जनवरी, 2016 ई0

माघ 08, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

ऊर्जा अनुभाग–01

संख्या 68/I/2016–02(02)/11/2006

देहरादून, 28 जनवरी, 2016

अधिसूचना

प0 आ0–13

राज्यपाल, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 सपठित 181 (यट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार की पुर्वानुमोदन से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा विनियम यथा, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कार्मिकों की भर्ती नियंत्रण और सेवा शर्तें) विनियम, 2016 बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अध्याय एक :
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कार्मिकों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें) विनियम, 2016 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये विनियम इन विनियमों में उल्लिखित आयोग के कार्मिकों पर लागू होंगे।

[1] *यह विनियम अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम रूप से मान्य होगा।*

2. परिभाषाएं — इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आपेक्षित न हो :—

(1) अधिनियम से विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का अधिनियम सं0 36) अभिप्रेत हैं;

(2) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(3) "आयोग" से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(4) "समूह क, ख, ग और घ इन विनियमों में परिशिष्ट–क में वर्गीकृत पद है;

(5) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है;

(6) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(7) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(8) "कृत्य" से आयोग के क्रिया कलापों से संबंधित सभी कार्य अभिप्रेत हैं और इसमें सम्मिलित है;

(9) "सेवा" से आयोग के विद्युत नियामक आयोग की सेवा अभिप्रेत है;

(10) "कर्मचारीवृन्द" में नियमित या प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर नियुक्त सभी श्रेणियों के अधिकारी और कर्मचारी दोनों सम्मिलित है, जो कि इस विनियम के सम्बन्धित प्राविधानों में निहित है।

(11) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वे शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां उपयोग में आये है किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं उनका वही अभिप्राय होगा जो अधिनियम में उनके लिये समनुदिष्ट है।

अध्याय दो
अनुमोदित पदों की संख्या के सापेक्ष पदों का वर्गीकरण एवं भर्ती की प्रक्रिया

3. पदों का वर्गीकरण — पदों का वर्गीकरण, उनसे संबंधित वेतनमान और पदों की संख्या, समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा मंजूर किये गये अनुसार होंगे। पदों पर भर्ती का स्वरूप परिशिष्ट–ख के अनुसार है।

4. नियुक्ति का माध्यम — (1) आयोग में रिक्त पदों के सम्मुख नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर की जायेगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्तियां केन्द्र/राज्य सरकार, सहकारी उपक्रम/विभागों तथा अन्य SERCs/CERC से की जायेंगी।

(2) आयोग के कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और आयोग के साथ अपेक्षित नम्यता बनाये रखने के लिये हाउस कीपिंग, सुरक्षा, वाहन चालक, चपरासी इत्यादि जैसी सेवाएं आयोग के विवेकानुसार सर्विस एजेन्सी/सर्विस आर्गेनाइजेशन्स से आउटसोर्सिंग आधार पर प्राप्त की जायेंगी।

(347)

(3) ऊपर उप–विनियम (2) के अनुसार जन शक्ति की आवश्यकता स्वचालन की मात्रा, इलैक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों और डाटा स्टोरेज साधनों के

उपयोग पर निर्भर करते हुए परिवर्तित होगी। अतः अपेक्षित नम्यता लाने के लिये आयोग अपने नियमित स्टाफ के अतिरिक्त, जब और जैसी आवश्यकता हो, एक निजी प्रदाता को ये सेवाएं संविदा पर दे सकता है।

5. पदों का आवंटन — विभिन्न कार्यशील क्षेत्रों के मध्य स्वीकृत पदों का परस्पर आवंटन, अपेक्षित भिन्न विशेषज्ञों में से श्रेष्ठ रुप से भरने के लिये, समय–समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार होगा। आयोग अपने विवेकानुसार किसी पद के वेतनमान तथा भत्तों को बदले बिना इसकी कार्यपरक आवश्यकता इंगित करने के लिये उस पद को पुनः पदाभिहित कर सकेगा।

अध्याय तीन
भर्ती और नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

6. नियुक्ति प्राधिकारी — स्टाफ के सदस्यों की सभी नियुक्तियां नीचे दी गई सारिणी के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी :

सारिणी 1:नियुक्ति प्राधिकारी

विवरण	अभिहित प्राधिकारी	अधिकारी/कर्मचारी की श्रेणी
नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष	समूह क
	सचिव	समूह ख एवं ग
	प्रशासन/एचआर डिवीजन का प्रमुख	समूह घ

7. चयन समिति का गठन — (1) विभिन्न पदों पर सभी नियुक्तियां चयन समिति की संस्तुति पर की जायेंगी।

(2) चयन समिति का गठन नीचे दिये अनुसार होगाः

(a) उपरोक्त सभी समूह 'क' और 'ख' दोनों पर चयन के लिये चयन समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होगा :–

अध्यक्ष : आयोग का अध्यक्ष

सदस्य : (एक) आयोग के समस्त सदस्य।

(दो) आयोग चयन समिति के सहायता के लिये इसके सदस्य के रूप में एक या इससे अधिक विशेषज्ञों को सम्मिलित कर सकता है।

संयोजक : आयोग का सचिव, तथापि, सचिव के पद हेतु चयन प्रक्रिया के मामले में संयोजक, आयोग कार्यालय के प्रशासन/मानव संसाधन (एच आर) डिवीजन का प्रमुख होगा।

(ख) उपरोक्त वर्णित सभी समूह 'ग' और 'घ' पदों पर चयन हेतु चयन समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होगा :–

अध्यक्ष : आयोग का सचिव

सदस्य : (एक) आयोग द्वारा नामित दो निदेशक

(दो) आयोग का सचिव चयन समिति की सहायक के लिये इसके सदस्य के रूप में एक या इसके अधिक विशेषज्ञों को सम्मिलित कर सकता है।

संयोजक : आयोग कार्यालय के प्रशासन/मानव संसाधन (एच आर) डिवीजन का प्रमुख।

8. योग्यता मापदंड — विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए योग्यता मापदण्ड आयोग द्वारा राज्य सरकार की सहमति से निर्धारित किये जायेंगे। आयोग यदि ऐसा करना समुचित हो, पद की कार्यपरक आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव की प्रकृति के निर्धारित योग्यता मापदंडों में संशोधन कर सकता है।

9. नियुक्ति हेतु प्रक्रिया — (1) सीधी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/संविदाकृत नियुक्ति द्वारा कुछ रिक्ति (यों) को भरने की आवश्यकता होने पर आयोग योग्यताओं, अनुभव, वेतन संरचना इत्यादि का पूर्ण विवरण देते हुए तथा विज्ञापन/सर्कुलर की तिथि तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के मध्य पर्याप्त समय रखते हुए वांछनीय रुप से प्रिंट मीडिया, केन्द्र/राज्य सरकार, सरकारी उपक्रम/विभागों/निगमों तथा अन्य SERCs/CERC को सर्कुलर द्वारा ऐसी रिक्तियों को विज्ञापित करेगा ताकि आवेदन हेतु सभी योग्य अभ्यर्थियों को पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके।

(2) निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आवेदन आयोग में प्रशासन एच आर डिवीजन द्वारा प्रक्रमण किये जाने के पश्चात चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे। प्रारम्भिक समीक्षा, आवेदन पत्र के विभिन्न स्तभों के अन्तर्गत अलग–अलग अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विवरण को एक सारिणी प्रारुप में दर्शायेगी तथा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा योग्यता मानदंड को पूरा करना/न करना दर्शाते हुए संबंधित आवेदक द्वारा संलग्न प्रशंसा पत्रों और प्रमाण पत्रों का विवरण भी उल्लिखित करेगी।

(3) चयन समिति सभी वैध आवेदनों पर विचार करेगी तथा आगे की चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिये योग्य अभ्यर्थियों को छाँटकर सूची बनायेगी।

(4) चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थियों की प्रवीणता सूची सहित चयन समिति की संस्तुति प्रशासन/एच आर डिवीजन द्वारा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये उसके पास भेजी जायेगी। प्रवीणता सूची में अभ्यर्थियों

की संख्या साधरणतया एक रिक्ति हेतु तीन व्यक्तियों से अधिक नहीं होगी तथा ऐसी सूची चयन के परिणामों की घोषणा की तिथि से छः माह से आगे प्रचालित नहीं होगी।

(5) उपयुक्त अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण चयन प्रक्रिया पुनः अपनाने की स्थिति में ऊपर लिखित संपूर्ण प्रक्रिया पुनः अपनायी जायेगी।

(6) आयोग चयन की रीति को औपचारिक रूप से विहित करेगा जिसमें लिखित परीक्षा और/अथवा साक्षात्कार या अन्य किसी ढ़ंग द्वारा अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं योग्यताक्रम में अभ्यर्थियों को रखा जायेगा।

10. नियुक्ति के पश्चात औपचारिकताएं

(1) सफल अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट द्वारा उनकी नियुक्ति की सूचना दी जायेगी तथा अपना कार्य भार ग्रहण करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा तथा नियत समय पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण न करने की स्थिति में नियुक्ति पत्र रद्द हो जायेगा। तथापि, अध्यक्ष कारण अभिलिखित कर इस शर्त में एक युक्ति युक्त अवधि तक छूट दे सकता है।

(2) चयन हो जाने पर सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण करने में दो सप्ताह के भीतर इस कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समुचित कार्यक्षेत्र के चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के समक्ष चिकित्सीय परीक्षण करवाना होगा। चिकित्सीय परीक्षण में सफल न होने पर नियुक्ति का प्रस्ताव निरस्त हो सकता है।

(3) पदभार ग्रहण करते समय चयनित अभ्यर्थी आयोग में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शैक्षिक अर्हता/अनुभव/निवास और जाति प्रास्थिति के विभिन्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(4) नियुक्ति के निरस्तीकरण के सभी मामलों में नियुक्ति पत्र उसी तरीके से, जिसे कि मूल रुप से चयनित अभ्यर्थी के मामले में अपनाया गया था, पैनल में अगले अभ्यर्थी को भेजा जायेगा।

(5) सीधी नियुक्ति के मामले में आयोग, नियुक्त अभ्यर्थी के चरित्र और पूर्ववृत्त को ऐसे तरीके से सत्यापित करवायेगा जैसा कि वह उचित समझे तथा यदि ऐसी रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि नियुक्त व्यक्ति आयोग की सेवा में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं है तो नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। नियुक्त व्यक्ति इस संबंध में किसी प्रतिपूर्ति या मौद्रिक लाभ का हकदार नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों की सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाना होगा।

(344)

11.	निम्न वेतनमान में नियुक्ति	अभ्यर्थी भले ही उच्चतर पद हेतु न्यूनतम अर्हता रखता हो, अभ्यर्थी को विज्ञापित पद से नीचे के पद में तत्समान पारिश्रमिक पर रोजगार का प्रस्ताव दिया जायेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी यह समझता है कि उच्च पद हेतु कोई उपयुक्त अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण ऐसा करना आवश्यक है, वह आयोग के अनुमोदन से ऐसा कर सकता है। (परिशिष्ट–क)
12.	परिवीक्षा	(1) सभी सीधे भर्ती हुए व्यक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार नियत अवधि हेतु जो कि अधिक हो, तक परिवीक्षा पर रहेंगे। (2) यदि नियुक्त व्यक्ति का कार्य निष्पादन परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है या परिवीक्षा की अवधि के दौरान कभी भी, नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं समाप्त की जा सकती है। (3) परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रुप से पूर्ण हो जाने पर कर्मचारी का स्थायीकरण कर दिया जायेगा।
13.	आरक्षण	पदों पर आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों/जनजातियों व अन्य पिछड़ें वर्गों के लिये राज्य सरकार में प्रचलित नियमों/नीतियों के अनुसार अनुमन्य होगा।
14.	सेवानिवृत्ति की आयु	आयोग के स्टाफ हेतु सेवानिवृत्ति की आयु राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी।

अध्याय चार

वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निर्बंधन एवं शर्तें

15.	नियमित नियुक्ति	(1) नियमित स्टाफ के वेतनमान समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य किये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान वेतनमान परिशिष्ट–ख में दिये गये हैं। (2) आयोग का स्टाफ, आयोग के कार्यालय को उपलब्ध मानव संसाधन की उन्नति और अभिप्रेरणा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपयुक्त आशोधन करने के आयोग के विवेक की शर्त के अधीन राज्य सरकार द्वारा तय किये गये मानकों के अनुसार निम्नलिखित भत्ते/लाभ पाने के लिये योग्य होगा, यथा, महंगाई भत्ता, एचआरए/मकान पट्टा, छुट्टी यात्रा रियायत/गृह यात्रा, चिकित्सा सुविधाएं, भविष्य निधि, छुट्टी प्रावधान, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता,

आवासीय टेलीफोन, मोबाईल और इन्टरनेट सुविधा, बच्चों की शिक्षा भत्ता, मनोरंजन भत्ता, समाचार पत्र/पत्रिका/जर्नल्स, ऋण और अग्रिम, अनुग्रह भुगतान पाने के लिये योग्य होगा।

(3) यदि आयोग की बहु कार्यपरक आवश्यकताओं के संबंध में कोई स्टाफ किसी विशेष कार्य की जिम्मेदारी लेता है या किसी अन्य पद पर रिक्ति के कारण या विशेष परिस्थिति में ऐसे अन्य पद पर कार्यभार बढ़ जाने की स्थिति में ऐसे अन्य पद के अतिरिक्त कार्य की जिम्मेदारी लेता है तो ऐसे कर्मचारी को इस तरह किये गये अन्य कार्यों के लिये विशेष भत्ता दिया जायेगा।

परन्तु ऐसे विशेष भत्ते की राशि उतनी ही होगी जितनी कि आयोग द्वारा तय की जाये तथा किसी भी दशा में यह राशि ऐसे अन्य पद पर लागू मूल वेतन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा उस अवधि से अधिक के लिये नहीं होगी जिस अवधि के लिये अतिरिक्त कार्य किया गया हो।

16. **संविदाकृत स्टाफ**

(1) संविदाकृत स्टाफ का पारिश्रमिक समय–समय पर आयोग द्वारा तय किये गये अनुसार होगा। इसे तय करते समय आयोग, पद के तत्समान वेतन तथा अन्य मौद्रिक लाभ/भत्तों या समय–समय पर ऐसे स्टाफ के लिये राज्य सरकार द्वारा तय पारिश्रमिक को ध्यान में रखेगा।

(2) जहां आयोग संविदा को विस्तारित करने का या नयी भर्ती की प्रक्रिया अपनाये बिना संविदा पर किसी व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति का निर्णय लेता है वहां पारिश्रमिक के अवधारण में वही सिद्धांत अपनाये जायेंगे।

(3) यदि सरकार/पीएसयू से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को संविदा पर नियुक्त किया जाता है तो उनका वेतन राज्य सरकार के नियमों के अनुसार उनकी पेंशन इत्यादि को ध्यान में रखते हुए तय किया जायेगा। ऐसे तरीकों से नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार के नियमों/मानको/दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

(4) आयोग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति 03 वर्ष तक की जा सकती है। जो कि अधिकतम 02 वर्ष हेतु पुनः बढ़ायी जा सकती है।

17. **प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ**

(1) प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ का वेतन तथा अन्य निबंधन और शर्तें, इस संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होंगे।

(2) प्रतिनियुक्ति पर पदभार ग्रहण करने वाला स्टाफ संबंधित भविष्य निधि में अंशदान हेतु योग्य होगा जिसमें वह अपने मूल विभाग में अंशदान कर रहा था तथा आयोग प्रत्येक मामलों में लागू हुए अनुसार नियोक्ता के अंशदान की लागत वहन करेगा।

(3) इस तथ्य के होते हुए भी कि कर्मचारी ने आयोग में प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी नहीं की है, यह अवधारित हो जाने पर कि ऐसे कर्मचारी की सेवाओं की आयोग को आवश्यकता नहीं है, आयोग के पास प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहे ऐसे कर्मचारी की मूल विभाग में वापसी के अनुमोदन का विवेकाधिकार होगा।

(4) आयोग, इस संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार एवं प्रतिनियुक्त व्यक्ति को नियमित आधार पर आमेलित करने पर विचार कर सकता है।

(5) प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयोग में सीधी भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिये योग्य होगा।

18. पदोन्नति

(1) जहां लागू हो वहां पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, यहां नीचे दिये उपबंधों के अधीन आयोग के अनुमोदन से किये जाने की अनुमति दी जायेगी।

(2) पदोन्नति फीडर पदों पर की जाएगी तथा पदोन्नति हेतु पदधारक के वर्तमान पद, जो कि परिशिष्ट–ग के कालम (2) से कालम (3) के उच्च पद धारण करने के लिये कालम (4) में अर्हता सेवा को पूर्ण करने ही अनुमन्य होगी।

(3) फीडर पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर, राज्य सरकार के नियमों/नीतियों के अनुसार सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) योजना लागू होगी।

(4) उपरोक्त पदोन्नति हेतु चयन प्रकिया में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति राज्य सरकार के प्राविधानों के अनुरूप होगी तथा उपरोक्त उप–विनियम (2) एवं (3) के उपबंधों की पूर्ति हेतु, योग्य अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु संस्तुति करने के लिये आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा।

अध्याय पांच
वार्षिक निर्धारण, अनुशासनिक कार्यवाही और दण्ड

19. आचरण और अनुशासन

(1) समय–समय पर संशोधित राज्य सरकार के नियमों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य नियमों, विनियमों के उपबंध आयोग के स्टाफ पर लागू होंगे।

(2) प्रत्येक समूह में नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी होगा तथा समूहों का विचार किये बिना, आयोग, अपीलीय प्राधिकारी होगा तथा इसे निम्नलिखित सारिणी में दर्शाया गया है।

341

सारिणी 2 : अनुशासनिक प्राधिकारी

विवरण	अभिहित प्राधिकारी	स्टाफ की श्रेणी
नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष	समूह 'क'
	सचिव	समूह 'ख' एवं 'ग'
	प्रशासन/एच आर डिवीजन का प्रमुख	समूह 'घ'
अनुशासकीय प्राधिकारी	अध्यक्ष	समूह 'क'
	सचिव	समूह 'ख' एवं 'ग'
	प्रशासन/एच आर डिवीजन का प्रमुख	समूह 'घ'
अपीलीय प्राधिकारी	आयोग	समूह 'क'
	अध्यक्ष	समूह 'ख' एवं 'ग'
	सचिव	समूह 'घ'

अध्याय छः
विविध

20. सेवा का अभिलेख — समस्त स्टाफ की सेवा का एक अभिलेख अपने कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप के अनुसार रखा जायेगा।

21. कार्य निष्पादन का मूल्यांकन — स्टाफ के कार्य निष्पादन का आयोग द्वारा नियत किये गये तरीके और स्वरुप में वार्षिक रुप से मूल्यांकन किया जायेगा और समीक्षा की जायेगी।

22. प्रशिक्षण — स्टाफ को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जायेगा।

23. सेवा मामलों हेतु प्राधिकारी — सेवा से संबंधित कोई ऐसे मामले जिनका इन विनियमों में विशिष्ट रुप से उल्लेख न किया गया हो उनके संबंध में राज्य सरकार के नियमों के सुसंगत उपबंध और/या इस निमित राज्य सरकार की अन्य व्यवस्थाएं आयोग के स्टाफ पर लागू होंगी।

24. आयोग की अन्तर्निहित शक्ति की व्यावृत्ति — इन विनियमों में कुछ भी ऐसी प्रक्रिया अपनाने से आयोग को वर्जित नहीं करेगा जो कि इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों से भिन्न हो, यदि आयोग, मामले या मामले की श्रेणियों की विशेष परिस्थिति को देखते हुए तथा कारण अभिलिखित पर, इन विनियमों के उपबंधों में शिथिलता प्रदान करना आवश्यक और समीचीन समझता है।

25. निर्वचन — यदि इन विनियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो आयोग का निर्वचन अंतिम होगा।

26. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति — यदि इन विनियमों में किन्हीं उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कार्यवाही, जो अधिनियम में प्राविधानों से असंगत न हों, कर सकता है जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से आयोग को आवश्यक और समीचीन प्रतीत होता हो।

(340)

परिशिष्ट –क

पदों एवं सापेक्ष वेतनमान का वर्गीकरण

(उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 71/xxx(2)/2012 दिनांक 07.05.2012)

क्र0 सं0	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1.	वेतन बैण्ड–3/वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 6600 तथा उच्च	श्रेणी 'क'
2.	वेतन बैण्ड–2/वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600 से रू0 4800 तथा वेतन बैण्ड–3/वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400	श्रेणी 'ख'
3.	वेतन बैण्ड–1/वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900 से रू0 2800 तथा वेतन बैण्ड–2/वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	श्रेणी 'ग'
4.	वेतन बैण्ड–1/वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1800	श्रेणी 'घ'

339

(ख)

परिशिष्ट –२क

पदों पर भर्ती का स्वरूप

क्र0 सं०	पद	पदों की संख्या	वेतनमान	नियुक्ति की प्रकिया
1	2	3	4	5
1.	सचिव	01	वेतनबैण्ड 37400–67000 तथा ग्रेड वेतन 8900 / 10000	प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के द्वारा
2.	निदेशक (तकनीकी)	01	वेतनबैण्ड 37400–67000 तथा ग्रेड वेतन 8900 / 10000	संयुक्त निदेशक (तकनीकी) के पद से पदोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थी न होने पर प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा।
3.	निदेशक (कौस्टिंग / लाइसेन्सिंग)	01	वेतनबैण्ड 37400–67000 तथा ग्रेड वेतन 8900 / 10000	प्रतिनियुक्ति द्वारा एंव प्रतिनियुक्ति के लिये अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
4.	निदेशक (वित्त)	01	वेतनबैण्ड 37400–67000 तथा ग्रेड वेतन 8900 / 10000	संयुक्त निदेशक, (वित्त / टैरिफ) के पद से पदोन्नति द्वारा एवं पदोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थी न होने पर प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा।
5.	संयुक्त निदेशक (वित्त / टैरिफ)	01	वेतनबैण्ड 15600–39100 तथा ग्रेड वेतन 7600	उप निदेशक, (वित्त / टैरिफ) के पद से पदोन्नति द्वारा एवं पदोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थी न होने पर प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा।
6.	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	01	वेतनबैण्ड 15600–39100 तथा ग्रेड वेतन 7600	उप निदेशक, (तकनीकी) के पद से पदोन्नति द्वारा एवं पदोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थी न होने पर प्रतिनियुवित अथवा सीधी भर्ती द्वारा।
7.	संयुक्त निदेशक (विधि)	01	वेतनबैण्ड 15600–39100 तथा ग्रेड वेतन 7600	प्रतिनियुक्ति द्वारा एवं प्रतिनियुक्ति से अर्ह अभ्यर्थी न मिलने पर सीधी भर्ती द्वारा।
8.	उप निदेशक (लेखा)	01	वेतनबैण्ड 15600–39100 तथा ग्रेड वेतन 6600	सहायक निदेशक, लेखा / लेखाधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा एवं पदोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थी न होने पर प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा।
9.	उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	01	वेतनबैण्ड 15600–39100 तथा ग्रेड वेतन 6600	सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद से पदोन्नति द्वारा एवं पदोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थी न होने पर प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा।
	सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)		वेतनबैण्ड 15600–39100 तथा ग्रेड वेतन 5400	प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा
10.	उप निदेशक (तकनीकी)	01	वेतनबैण्ड 15600–39100 तथा ग्रेड वेतन 6600	सहायक निदेशक (तकनीकी) के पद से पदोन्नति द्वारा एवं पदोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थी न होने पर प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा।
	सहायक निदेशक (तकनीकी)		वेतनबैण्ड 15600–39100 तथा ग्रेड वेतन 5400	प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा

क्र० सं०	पद	पदों की संख्या	वेतनमान	नियुक्ति की प्रक्रिया
11.	उप निदेशक (प्रशासन)	01	वेतनबैण्ड 15600–39100 तथा ग्रेड वेतन 6600	सहायक निदेशक (प्रशासन) के पद से पदोन्नति के द्वारा एवं पदोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थी न होने पर प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा।
12.	उप निदेशक (वित्त/ टैरिफ)	01	वेतनबैण्ड 15600–39100 तथा ग्रेड वेतन 6600	सहायक निदेशक, (वित्त/टैरिफ) के पद से पदोन्नति द्वारा एवं पदोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थी न होने पर प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा।
	सहायक निदेशक (वित्त/ टैरिफ)		वेतनबैण्ड 15600–39100 तथा ग्रेड वेतन 5400	प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा
13.	लेखाधिकारी	01	वेतनबैण्ड 15600–39100 तथा ग्रेड वेतन 5400	प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा
14.	निजी सचिव	03	वेतनबैण्ड 9300–34800 तथा ग्रेड वेतन 4200	वैयक्तिक सहायक कम कम्प्यूटर आपरेटर के पद से पदोन्नति द्वारा
15.	वैयक्तिक सहायक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर	05	वेतनबैण्ड 9300–34800 तथा ग्रेड वेतन 4200	आशुलिपिक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर, (उच्च ग्रेड) के पद से पदोन्नति द्वारा एवं पदोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थी न होने पर प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा।
16.	आशुलिपिक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर-II	03	वेतनबैण्ड 9300–34800 तथा ग्रेड वेतन 4200	आशुलिपिक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर-I के पद से पदोन्नति द्वारा पदोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थी न होने पर प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा।
17.	आशुलिपिक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर-I	04	वेतनबैण्ड 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन 2400	प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा यथा आवश्यकतानुसार संविदा पर भी नियुक्ति की जा सकेगी।
18.	प्रवर सहायक	01	वेतनबैण्ड 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन 2400	प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा यथा आवश्यकतानुसार संविदा पर भी नियुक्ति की जा सकेगी।
19.	कैशियर कम सहायक लेखाकार	01	वेतनबैण्ड 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन 2400	प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा यथा आवश्यकतानुसार संविदा पर भी नियुक्ति की जा सकेगी।
20.	लाइब्रेरियन कम रिसेप्शनिस्ट	01	वेतनबैण्ड 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन 2400	प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा यथा आवश्यकतानुसार संविदा पर भी नियुक्ति की जा सकेगी।
21.	ड्राइवर	04	वेतनबैण्ड 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन 1900	सीधी भर्ती अथवा आउटसोर्सिंग द्वारा यथा आवश्यकतानुसार संविदा पर भी नियुक्ति की जा सकेगी।
22.	चपरासी	13	वेतनबैण्ड 4440–7400 तथा ग्रेड वेतन 1300	आउटसोर्सिंग द्वारा यथा आवश्यकतानुसार संविदा पर भी नियुक्ति की जा सकेगी।
	कुल पद	48		

नोट :–

(i) आयोग में संरचना से संबंधित कार्य के अनुभव को सभी 'समूह क' के पदों में वरीयता दी जायेगी।

(ii) आयोग किसी रिक्त पद के सम्मुख एक कर्मचारी की भर्ती कर सकता है तथा अपने विवेकानुसार एक निम्न पद या वेतन अनुमोदित कर सकता है।

(337)

(iii) आयोग किसी कर्मचारी को उसके वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जाने के पश्चात् आगे के वर्षों में किसी निश्चित वेतनमान में नियत वार्षिक वृद्धि प्रदान कर सकता है। आयोग के पास किसी कर्मचारी को अतिरिक्त विशेष वेतन वृद्धि प्रदान करने का अधिकार है।

(iv) आयोग समय समय पर विभिन्न विशिष्ट परिवर्तित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न विशिष्टताओं पर स्वीकृत पदों के कार्यपरक वितरण में परिवर्तन कर सकता है।

(v) आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91(4) में उपबंधित किये अनुसार प्रतिधारण/अन्य आधार पर परामर्शी, जिसमें विधिक परामर्श दाता भी सम्मिलित हैं, नियुक्ति कर सकता है, या कुछ सेवाओं को वाहृय सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान करने की व्यवस्था कर सकता है।

(vi) आयोग उपरोक्त वेतनमानों को, राज्य सरकार द्वारा उनमें किये गये संशोधन के अनुसार संशोधित कर सकता है।

परिशिष्ट –ग

फीडर पदों पर पदोन्नति हेतु अर्ह सेवा वर्ष

क्र0 सं0	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अर्ह सेवा हेतु वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संयुक्त निदेशक	निदेशक	04 वर्ष
2.	उप निदेशक	संयुक्त निदेशक	03 वर्ष
3.	सहायक निदेशक	उप निदेशक	03 वर्ष
4.	वैयक्तिक सहायक कम कन्सोल आपरेटर	निजी सचिव	03 वर्ष
5.	स्टेनो कम कम्प्यूटर आपरेटर (उच्च वेतनमान)	वैयक्तिक सहायक कम कन्सोल आपरेटर	03 वर्ष
6.	स्टेनो कम कम्प्यूटर आपरेटर (निम्न वेतनमान)	स्टेनो कम कम्प्यूटर आपरेटर (उच्च वेतनमान)	04 वर्ष

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव।